

नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित पार्किंगों को खुली बोली द्वारा आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह खुली बोली रोटरी क्लब माल रोड़ शिमला में दिनांक 23.08.2021 को दोपहर 12.00 बजे की जानी निश्चित की गई है। उक्त खुली बोली हेतु इच्छुक बोलीदाता को निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक निम्नलिखित नियम व शर्तों को पूर्ण करते हुये निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि तथा आरक्षित राशि निलाम की जाने वाली सम्पत्तियों के सामने दर्शाई गई है:-

पार्किंगों का विवरण:-

Sr. No.	Name of Parking	Parking capacity (No. of Vehicle)	Type	Period	Security amount (In Rs.)	Reserve Price (per Annum) (In Rs.)
1.	Amar Bhawan Titla Hotel Jakhu car Parking ground & 1 st Floor.	27	Domestic	2 Years	36,000/-	1,16,000/-
2.	Car Parking, Community Centre, Kaithu, Shimla.	15	Domestic	2 Years	20,000/-	65,000/-
3.	New Shimla, Sector-2 Car Parking. Himgalary.	20	Domestic	2 Years	34,000/-	87,000/-
4.	Kandhari Niwas Annandale Shimla	20	Domestic	2 Years	25,000/-	87,000/-
5.	Near Fauji Dhaba New Shimla	40	Domestic	2 Years	60,000/-	1,72,000/-
6.	Stocks Place Banmore Place Shimla	14	Domestic	2 Years	20,000/-	60,000/-
7.	Opposite Janjaitya Bhawan Bhalli Shimla	15	Domestic	2 years	20,000/-	65,000/-
8	Road Side Parking Near JCB School New Shimla	13	Domestic	2 Years	10,000/-	56,000/-
9.	Road Side Car Parking Lamba Qtr. Tutikandi	15	Domestic	2 Years	15,000/-	65,000/-
10.	Road Side Car Parking Khalini to Forest Office via Alpine Hotel Talland	44	Commercial	2 Years	50,000/-	1,90,000/-
11.	M.C. Parking at Rirka, Tuti Kandi, Shimla.	80	Domestic	2 Years	90,000/-	3,45,000/-

12.	M.C Parking Ada villa Annandale, Shimla.	35	Domestic	2 Years	45,000/-	1,50,000/-
13.	M.C Parking Near Auckland School	10	Domestic	2 Years	20,000/-	60,000/-
14.	M.C Car Parking Dinghu Dhar, Sanjauli, Ward NO. 19 Phase -1, Shimla.	40	Domestic	2 Years	70,000/-	2,30,400/-
15.	M.C Car Parking near P.K Coal company Khalini, Shimla.	12	Commercial	2 years	50,000/-	1,70,000/-

नियम व शर्तें:-

1. बोलीदाता को बोली आरम्भ होने से पूर्व सूची में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला/आयुक्त नगर निगम शिमला के नाम निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धरोहर राशि की नकदी/ट्रान्जेक्शन मान्य नहीं होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली राशि का 25% बोली समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 पोस्ट डेटिड बैंक प्रतिमाह के, कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा उच्चतम बोली को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वितीय बोलीदाता को कब्जा सौपने बारे कार्यवाही की जायेगी।
3. उच्चतम बोली दाता को उच्चतम बोली केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा। यदि सरकार इसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो जी.एस.टी का भुगतान यथानुसार करना होगा।
4. धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट जमा न करने पर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग लेने का हकदार नहीं होगा तथा धरोहर राशि निश्चित तिथि व समय पर जमा करनी होगी।
5. पार्किंग के उच्चतम बोलीदाता को निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही पार्किंग फीस वसूल करनी होगी। ऐसा न करने पर शिकायत प्राप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा व ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
6. आंबटित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला होगा।

7. बोली के दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर ही की जायेगी।
8. निगम द्वारा जिन सम्पतियों की निलामी खुली बोली द्वारा की जा रही है, उन सम्पतियों में उच्चतम बोलीदाता निगम का देनदार नहीं होना चाहिए पता लगने पर उस बोलीदाता की बोली को रद्द कर दिया जायेगा।
9. निगम पार्किंग वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जायेगी तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की उपचारिकतायें उच्चतम बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला को बोली स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. सरकार एवं आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश सफल बोलीदाता को मान्य होंगे।
12. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/अधीक्षक नगर निगम शिमला व सम्पदा शाखा में कार्यरत निरीक्षकों को ठेके पर आंबटित सम्पतियों को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार होगा।
13. सफल बोलीदाता सात दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के साथ अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नामा दायर न करने अथवा शर्तों का उलंगन करने पर ठेका रद्द समझा जायेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. ठेकेदार को पार्किंग के संचालन हेतु कर्मचारियों को अपने स्तर पर रखना होगा। रखे गये कर्मचारियों व ठेकेदार के बीच में विवाद होने पर नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
15. आंबटित पार्किंगों के उच्चतम बोलीदाता को पार्किंग में फी वसूली हेतु नगर निगम द्वारा तैयार रसीदों/पॉश मशीनों को ही प्रयोग करना होगा। रसीदे प्राप्त करने हेतु राशि रु0 50/- सम्पदा शाखा में जमा करवाने होंगे। अपनी छपवाई हुई रसीदें मान्य नहीं होगी। पॉश मशीन बोलीदाता को स्वयं खरीद करनी होगी, ऐसा करने पर निरीक्षण के दौरान अपनी छपवाई हुई रसीदे पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
16. उच्चतम बोलीदाता को आंबटित पार्किंग में निगम द्वारा तय की पार्किंग फीस का बोर्ड मेन गेट पर लगाना अनिवार्य होगा।

17. बोलीदाता को बोली से पूर्व अपना पैतृक गांव/शहर का स्थाई पता, पत्राचार पता, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मोबाईल नं० से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
18. निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि बोलीदाता द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जायेगा तथा पुनः शिकायत एवं दोष सिद्ध होने पर रू० 20,000/- जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार-बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा। यह जुर्माना इकरारनामों की अन्य शर्तों की उल्लंघना करने पर भी वसूल किया जायेगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आंबटन रद्द कर दिया जायेगा व उसे बलैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
19. निगम की पार्किंगों आदि की बोली में भाग लेने के लिए यह शर्त है कि बोलीदाता भाग लेने अथवा किसी परिसम्पत्ति के आंबटन हेतु यह आवश्यक है कि किसी आंबटी के पास पूर्व में नगर निगम की कोई अन्य पार्किंगों/दुकान/स्टॉल/लीज पर भूमि का बकाया देनदार नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।
20. बोलीदाता को यह भी अनिवार्य है कि निविदा में भाग लेने हेतु व्यक्ति नगर निगम का किसी भी प्रकार की राशि जैसे लीज मनी, किराया राशि, कूड़े का बिल व सम्पत्ति कर आदि की देनदारी लम्बित न हो। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।
21. खुली बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निगम द्वारा तय की गई शर्तों पर यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो बोली आरम्भ करने से पूर्व अपनी आपत्तियों दायर कर सकता है, बोली आरम्भ होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. निलाम की जाने वाली सम्पत्तियों बारे अधिक जानकारी हेतु अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाईट WWW.Shimlamc.org पर प्राप्त कर सकते हैं।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित दुकानों/स्टालों/एल.ई.डी/स्क्रीनों को खुली बोली द्वारा आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह खुली बोली निम्नलिखित स्थानों, तिथियों व समय पर की जानी निश्चित की गई है उक्त खुली बोली हेतु इच्छुक बोलीदाता को निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक निम्नलिखित नियम व शर्तें पूर्ण करते हुऐ धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि निलाम की जाने वाली सम्पत्तियों के सामने दर्शाई गई है:-

क्र. सं.	निलामी का विवरण	निलामी हेतु निर्धारित स्थान	निलामी तिथि	समय
1.	दुकाने/स्टॉल/एल.ई.डी स्क्रीनों क्रंम संख्या 1 से 9	मौके पर दुकाने/स्टॉल/एल.ई.डी स्क्रीनें मौके व स्थान पर	24.08.2021	12.00 बजे दोपहर

जिन सम्पत्तियों को खुली बोली द्वारा आबंटित किया जाना है उनकी सूची निम्न प्रकार से है:-

दुकानों/स्टालों/एल.ई.डी स्क्रीन का विवरण:

Sr. No.	Location of Shops/Stalls/Canteen	Size of Shop/Stall	Period	Security Money	Reserve Price. P.M
1.	Shop at Jiwanu Colony Pantha ghati.	147 Sq. Ft.	10 years	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/- P.M
2.	Shop No. 1 at Perimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq. ft	10 years	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/- P.M
3.	Shop No. 2 at Perimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq. ft	10 years	Rs. 25,000/-	Rs. 15,000/- P.M
4.	Shop No. 6 Commercial Complex, Nabha (2 nd floor).	150.10 Sq. ft.	10 years	Rs.. 25,000/-	Rs. 5,000/- P.M
5.	Shop No-1 below Rain Shelter, Chhota Shimla	151 Sq. ft.	10 years	Rs. 20,000/-	Rs. 10,000/- P.M
6.	Shop No-2 below Rain Shelter, Chhota Shimla	67.87 Sq. ft.	10 years	Rs. 15,000/-	Rs. 5,000/- P.M
7.	LED Screen The Ridge, Shimla	277 Sq. Ft.	2 years	Rs. 2,00,000/-	Rs. 50,000/- P.M
8.	LED Screen Oppst. Rotary	136 Sq Ft.	2 years	Rs. 1,50,000/-	Rs. 40,000/- P.M
9.	LED Screen, Sanjauli, Shimla	149 Sq. Ft	2 years	Rs. 1,50,000/-	Rs. 40,000/- P.M

नियम व शर्तें:-

1. बोलीदाता को बोली आरम्भ होने से पूर्व सूची में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला/आयुक्त नगर निगम शिमला के नाम निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धरोहर राशि की नकदी/ट्रॉजैक्शन मान्य नहीं होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली राशि का 25% बोली समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 पोस्ट डेटिड चेक प्रतिमाह के, कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा उच्चतम बोली को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वितीय बोलीदाता को कब्जा सौपने बारे कार्यवाही की जायेगी।
3. उच्चतम बोली दाता को उच्चतम बोली केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा। यदि सरकार इसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो जी.एस.टी का भुगतान यथानुसार करना होगा।
4. धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट जमा न करने पर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग लेने का हकदार नहीं होगा तथा धरोहर राशि निश्चित तिथि व समय पर जमा करनी होगी।
5. आंबटित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला होगा।
6. बोली के दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर ही की जायेगी।
7. निगम द्वारा जिन सम्पतियों की निलामी खुली बोली द्वारा की जा रही है, उन सम्पतियों में उच्चतम बोलीदाता निगम का देनदार नहीं होना चाहिए पता लगने पर उस बोलीदाता की बोली को रद्द कर दिया जायेगा।
8. निगम द्वारा आंबटित की जाने वाली दुकानों/स्टॉलों के किराये में प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
9. निगम की एल.ई.डी स्क्रीन/दुकानों वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जायेगी तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसैंस इत्यादि की उपचारिकतायें उच्चतम बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

10. निगम की तीनों एल.ई.डी स्क्रीनों को एक ही बोलीदाता द्वारा अथवा अलग-अलग बोलीदाता द्वारा भी बोली दी जा सकती है।
11. आयुक्त नगर निगम शिमला को बोली स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. सरकार एवं आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश सफल बोलीदाता को मान्य होंगे।
13. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/अधीक्षक नगर निगम शिमला व सम्पदा शाखा में कार्यरत निरीक्षकों को ठेके पर आंबटित सम्पतियों को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार होगा।
14. सफल बोलीदाता सात दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के साथ अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नामा दायर न करने अथवा शर्तों का उलंगन करने पर ठेका रद्द समझा जायेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. बोलीदाता को बोली से पूर्व अपना पैतृक गांव/शहर का स्थाई पता, पत्राचार पता, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मोबाईल नं० से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
16. निगम की दुकानों/स्टॉलों/एल.ई.डी स्क्रीनों आदि की बोली में भाग लेने के लिए यह शर्त है कि बोलीदाता भाग लेने अथवा किसी परिसम्पति के आंबटन हेतु यह आवश्यक है कि किसी आंबटी के पास पूर्व में नगर निगम की कोई अन्य दुकान/स्टॉल/लीज पर भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।
17. बोलीदाता को यह भी अनिवार्य है कि निविदा में भाग लेने हेतु व्यक्ति नगर निगम का किसी भी प्रकार की राशि जैसे लीज मनी, किराया राशि, कूड़े का बिल व सम्पति कर आदि की देनदारी लम्बित न हो। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।
18. खुली बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निगम द्वारा तय की गई शर्तों पर यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो बोली आरम्भ करने से पूर्व अपनी आपत्तियों दायर कर सकता है, बोली आरम्भ होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. निलाम की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतु अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाईट WWW.Shimlamc.org पर प्राप्त कर सकते हैं।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित बुक कैफे को खुली बोली द्वारा आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह खुली बोली निम्नलिखित स्थानों पर भिन्न-भिन्न तिथियों व समय पर की जानी निश्चित की गई है उक्त खुली बोली हेतु इच्छुक बोलीदाता को निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक निम्नलिखित नियम व शर्तों को पूर्ण करते हुये धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि निलाम की जाने वाली सम्पतियों के सामने दर्शाई गई है:-

क्र. सं.	निलामी का विवरण	निलामी हेतु निर्धारित स्थान	निलामी की तिथि	समय
1.	निगम के बुक कैफे क्रम संख्या 1 से 2	बुक कैफे दी रिज, शिमला मौका स्थान पर।	25.08.2021	12.00 बजे दोपहर

जिन सम्पतियों को खुली बोली द्वारा आबंटित किया जाना है उनकी सूची निम्न प्रकार से है:-

बुक कैफे का विवरण:

Sr. No.	Location of Shops/Stalls/Canteen	Size of Shop/Stall	Period	Security Money	Reserve Price. P.M
1.	Book Café Takka Bench, The Ridge, Shimla	487.64 Sq. ft	10 years	Rs. 1,00,000/-	Rs. 60,000/- P.M
2.	Book Café, Below Rain Shelter Chhota Shimla	737.58 Sq. ft.	10 years	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,50,000/- P.M

नियम व शर्तें:-

1. बोलीदाता को बोली आरम्भ होने से पूर्व सूची में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला/आयुक्त नगर निगम शिमला के नाम निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धरोहर राशि की नकदी/ट्रॉजैक्शन मान्य नहीं होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली राशि का 25% बोली समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 पोस्ट डेटिड बैंक प्रतिमाह के, कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा उच्चतम बोली को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वितीय बोलीदाता को कब्जा सौंपने बारे कार्यवाही की जायेगी।

3. उच्चतम बोली दाता को उच्चतम बोली केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा। यदि सरकार इसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो जी.एस.टी का भुगतान यथानुसार करना होगा।
4. धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट जमा न करने पर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग लेने का हकदार नहीं होगा तथा धरोहर राशि निश्चित तिथि व समय पर जमा करनी होगी।
5. आंबटित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला होगा।
6. बोली के दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर ही की जायेगी।
7. निगम द्वारा जिन सम्पतियों की निलामी खुली बोली द्वारा की जा रही है, उन सम्पतियों में उच्चतम बोलीदाता निगम का देनदार नहीं होना चाहिए पता लगने पर उस बोलीदाता की बोली को रद्द कर दिया जायेगा।
8. निगम बुक कैफे जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जायेगी तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की उपचारिकतायें उच्चतम बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।
9. निगम के दो बुक कैफों के लिए एक ही बोलीदाता द्वारा अथवा अलग-अलग बोलीदाता द्वारा भी बोली दी जा सकती है।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला को बोली स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. सरकार एवं आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश सफल बोलीदाता को मान्य होंगे।
12. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/अधीक्षक नगर निगम शिमला व सम्पदा शाखा में कार्यरत निरीक्षकों को ठेके पर आंबटित सम्पतियों को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार होगा।

13. सफल बोलीदाता सात दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के साथ अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नामा दायर न करने अथवा शर्तों का उलंगन करने पर ठेका रद्द समझा जायेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. बोलीदाता को बोली से पूर्व अपना पैतृक गांव/शहर का स्थाई पता, पत्राचार पता, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मोबाईल नं० से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
15. निगम की बुक कैफे आदि की बोली में भाग लेने के लिए यह शर्त है कि बोलीदाता भाग लेने अथवा किसी परिसम्पति के आंबटन हेतु यह आवश्यक है कि किसी आंबटी के पास पूर्व में नगर निगम की कोई अन्य दुकान/स्टॉल/लीज पर भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।
16. बोलीदाता को यह भी अनिवार्य है कि निविदा में भाग लेने हेतु व्यक्ति नगर निगम का किसी भी प्रकार की राशि जैसे लीज मनी, किराया राशि, कूड़े का बिल व सम्पति कर आदि की देनदारी लम्बित न हो। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ दी गई बोली रद्द कर दी जायेगी।
17. खुली बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निगम द्वारा तय की गई शर्तों पर यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो बोली आरम्भ करने से पूर्व अपनी आपत्तियों दायर कर सकता है, बोली आरम्भ होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. निलाम की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतु अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाइट WWW.Shimlamc.org पर प्राप्त कर सकते हैं।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।